

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विभाग केवल आवासीय प्रयोजन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 726 दिनांक 01/10/2020

प्रार्थी रवि कश्यप डा० श्री सुरज प्रकाश सोनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26198/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/8011/2020

दिनांक 01/10/2020 को जमा करा दी है ।

जी +
आवासीय

P. No. 726 बी/ए स्व. संख्या 2069/8011/2020 को जमा करा दी है ।

01/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Ravi Kashyap
20/10/20

Ravi Kashyap

9828122491